



CIN : U45203MP2004SGC016758

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ग्वालियर

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर ठाटीपुर ग्वालियर -474011

Web site: www.mprdc.nic.in,

E-mail: dmmprdcgw@gmail.com

Phone: 0751-4728185

क्रमांक 700 / एम.पी.आर.डी.सी / 2023 /

ग्वालियर, दिनांक 12/7/23

प्रति,

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल
गुना (म.प्र.)

विषय :- गुना जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अंतर्गत आरोन-राघोगढ़ वाया विदौरिया मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 22.729 हैक्टे. (ऑनलाइन 22.800 हेक्टेअर) वनभूमि म.प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/डी.एम./2023/5728 गुना दिनांक 30.06.2023

.....000.....

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में आरोन-राघोगढ़ मार्ग का निर्माण वर्ष एवं किस विभाग द्वारा निर्माण कराया गया था। यह जानकारी चाही गई थी।

इस संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग-गुना ने अपने पत्र क्र. 2883/तक./मार्ग/एम.पी.आर.डी.सी./2023-24 दिनांक 12.07.2023 द्वारा अवगत कराया है कि इस मार्ग का निर्माण वर्ष 1972 में स्वीकृत होना पाया गया है एवं निर्माण लोक निर्माण विभाग गुना ने कराया था। सुलभ संदर्भ हेतु कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग-गुना के पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः निवेदन है कि, कृपया सड़क कार्य हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

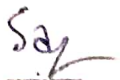
सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम
ग्वालियर
ग्वालियर दिनांक

पृ. क्रमांक / एम.पी.आर.डी.सी / 2023
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय जिला गुना।
2. मुख्य अभियंता (ए.डी.बी.-6) म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल।
3. पर्यावरण विशेषज्ञ म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल।
4. श्री शंशाक शर्मा सहायक महाप्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम गुना।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम
ग्वालियर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग गुना (म.प्र.)

दूरभाष नं.- 07542-252308 , फैक्स नं.- 07542-252308

Email: cepwd1guna@mp.nlc.in

क्रमांक 2883 / तक / मार्ग / एमपीआरडीसी / 2023-24
प्रति,

गुना दिनांक 12-7-23

संभागीय प्रबंधक

म.प्र. सड़क विकास निगम

ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- गुना जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अंतर्गत आरोन-राधौगढ़ वाया विदौरिया मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 22.729 हैक्टे. (ऑनलाईन 22.800 हैक्टेयर) वनभूमि म.प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 625/एम.पी.आर.डी.सी./2023/ ग्वालियर दिनांक 04.07.23

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आरोन से राधौगढ़ मार्ग के संबंध में इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख, प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर के आधार पर आरोन से राधौगढ़ मार्ग लंबाई 29.80 कि.मी. निर्माण हेतु म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1972 में स्वीकृत होना पाया गया है।

सूचनार्थ संप्रेषित।

(इंजी. जितेन्द्र कुमार पंत)

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग गुना

पृ. क्रमांक / तक / मार्ग / एमपीआरडीसी / 2023-24 गुना दिनांक
प्रतिलिपि :-

श्री शशांक शर्मा सहायक प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग गुना

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल गुना (म.प्र.)

(Email-dfoguna@rediffmail.com, dfot.gun@mp.gov.in, Office Ph. 07542-259650 Fax- 07542-250954)

क्रमांक/डी.एम./2023/5728

गुना, दिनांक 30.6.23

प्रति,

संभागीय प्रबंधक
म.प्र. संडक विकास निगम
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- गुना जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अन्तर्गत आरोन-राधौगंड वाया विदोरिया मार्ग के उन्नयन/चौडीकरण हेतु 22.729 हेक्टेयर (ऑनलाइन 22.800 हेक्टेयर) वनभूमि मध्य प्रदेश संडक विकास निगम ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत

संदर्भ:- आपका कार्यालयीन पृष्ठा.क्र./23/एम.पी.आर.डी.सी./2023 दिनांक 10.04.2023.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र से भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं/6-एम.पी.अर.007/2023/वी.एच.ओ. /दिनांक 15.03.2023 द्वारा आरोन-राधौगंड वाया-विदोरिया मार्ग उन्नयन/चौडीकरण के संबंध में चाही गई जानकारी बिन्दूवार प्रस्तुत की गई।

आप के द्वारा प्रस्तुत जानकारी के बिन्दू क्रं-07 में दी गई जानकारी प्रश्नांश के आधार पर नहीं दी गई है। अतः आप बिन्दू क्रंमाक 07 के संबंध में स्पष्ट करें , कि प्रश्नाधीन प्रस्तावित निर्मित मार्ग का निमार्ण किस वर्ष एवं किस विभाग (यूजर एजेन्सी) द्वारा कराया गया है , उपरोक्त जानकारी से तत्काल अवगत करावे , जिससे प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सकें।

वनमंडलाधिकारी
वनमंडलगुना.(म.प्र.)